

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

संख्या: 4030/रेरा/का0आ0 / 2018-19

दिनांक: 05 नवम्बर, 2018

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेश दिनांक 25.10.2018 (संलग्नक-1) के क्रम में मा0 अध्यक्ष उ0प्र0 रera द्वारा अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (अंसल ए0पी0आई0) की रेरा में पंजीकृत समस्त 91 परियोजनाओं (संलग्नक-2) के फारेन्सिक आडिट हेतु M/s Currie & Brown India (P) Ltd. को परामर्शदाता के रूप में निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आबद्ध किया जाता है :-

Terms of Reference:

1- Financial consultant will carry out forensic audit of all the projects of Ansal API registered in RERA with a view to investigate into the affairs, especially the accounts of Ansal API and their subsidiaries or consortium to find out the possible diversion of funds, causes of inordinate delay, to assign responsibilities therefor and to suggest effective corrective remedial measures. The financial consultant shall complete the audit maximum in 2 months.

2. The consultant will scrutinize the accounts to ascertain the money collected (cash inflows) in the projects from homebuyers and financial avenues vis-A-vis money deployed (cash outflows) on the project to ascertain whether the money has been properly utilized or not Ansal API. The consultant will carry out assessment of the stuck up projects through site surveys and make observations w.r.t the work done and to be done to complete the project. The consultant is also expected to compile future receivable from stock as well as disposable/unsold assets and estimate the possible inflows of funds.

3- The consultant will further suggest the ways and work out the modalities to dispose of unsold inventory/ assets and other receivables so that funds could be used to refund the money with interest to homebuyers and complete the ongoing projects for expediting delivery of plots/flats and villas.

4- The consultant will carry out the audit of projects in a manner that the audit of the most challenged ones is completed first. The reports will be concurrently submitted to the Authority for further appropriate orders.

5- The consultant will also act as a Financial Observer to oversee all financial transactions including inflows and outflows of funds in Ansal Properties and Infrastructure Ltd (Ansal API) and to periodically report to the Authority.

6- Whenever any third party right is created by these companies or their subsidiaries or consortium by way of sale, transfer, mortgage, or any other means, the promoter shall report the same to the financial observer.

परामर्शदाता को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत परियोजनाओं के आडिट हेतु निर्धारित प्रति यूनिट दर अर्थात् रु0 161.00+ अनुमन्य टैक्स की दर से आडिट शुल्क का भुगतान सम्बन्धित प्रोमोटर मेसर्स अंसल ए0पी0आई0 द्वारा निम्नलिखित समय-सारिणी के अनुसार किया जाएगा :-

1. परामर्शदाता द्वारा परियोजनाओं की ड्राफ्ट रिपोर्ट अनुबन्ध निष्पादित होने के 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ ही प्रोमोटर द्वारा 70 प्रतिशत आडिट शुल्क+अनुमन्य टैक्स का भुगतान परामर्शदाता को किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. परामर्शदाता द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना और प्राधिकरण द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर लिये जाने के 7 दिन के अन्दर प्रोमोटर द्वारा अवशेष 30 प्रतिशत आडिट शुल्क+अनुमन्य टैक्स का भुगतान परामर्शदाता को किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

परामर्शदाता द्वारा प्रोमोटर की समस्त 91 परियोजनाओं का फारेन्सिक आडिट अनुबन्ध की तिथि से 2 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

परामर्शदाता से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उपरोक्त उल्लिखित TOR तथा अन्य शर्तों एवं उपबन्धों के सम्बन्ध में अपनी लिखित सहमति तथा हस्ताक्षर हेतु अनुबन्ध 3 दिन के अन्दर प्राधिकरण के लखनऊ स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

(अबरार अहमद)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:

मेसर्स करी एण्ड ब्राउन इण्डिया (प्रा0) लि0, सी0-31/1, सी0एच0, नाथू सिंह मार्केट, मसूदनगर, वसन्तकुन्ज, नई दिल्ली-110070

(अबरार अहमद)
सचिव।